न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण संख्या 314/2025(GCMS : 2025/429)

आवास फाईनेंशियर्स लिमिटेड रजिस्टर्ड पता 201, 202 द्वितीय तल, साउथ एण्ड स्क्वायर मानसरोवर इंडस्ट्रियल एरिया, जयपुर–302020 स्थानीय शाखा नजदीक राजस्थान पत्रिका मार्ग, आईसीआईसीआई के ऊपर, शिव चौक, सूरतगढ़ रोड़, श्रीगंगानगर जरिये अधिकृत प्रतिनिधि प्रेम सुथार

बनाम

1. **सुखदेव कौर** पत्नी श्री मेजर सिंह निवासी वार्ड नं. 06, गांव अरायण तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर पिन नं. 335027 अन्य पता पट्टा नं. 38, पट्टा 39, पट्टा 41 स्थित गांव अरायण, तहसील श्रीकरणपुर व जिला श्रीगंगनगर पिन नं. 335027
2. **गुरप्रीत सिंह** पुत्र श्री मेजर सिंह निवासी 32 एफ, गांव अरायण तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर पिन नं. 335027
3. **मेजर सिंह** पुत्र श्री महेन्द्र सिंह निवासी वार्ड नं. 06, गांव अरायण तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर पिन नं. 335027
4. **अमनदीप कौर** पत्नी श्री गुरप्रीत सिंह निवासी 32 एफ अरायण तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर पिन नं. 335027

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

26.11.2025

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने जरिये अधिवक्ता श्री योगेन्द्र कुमार मूण्ड ने एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण सुखदेव कौर, गुरप्रीत सिंह, मेजर सिंह एवं अमनदीप कौर को ऋण सुविधा के रूप में 4.50/– लाख रूपये ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 24.02.2021 को प्रदान की थी। अप्रार्थीगण के खाते में दिनांक 10.05.2025 को 4,99,881/– रूपये की राशि भुगतान से बकाया थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में **अप्रार्थी सुखदेव कौर, गुरप्रीत सिंह एवं मेजर सिंह द्वारा बंधक रखी अपनी अचल सम्पत्ति क्रमशः पट्टा नं. 38, स्थित गांव अरायण तहसील श्रीकरणपुर व जिला श्रीगंगानगर पिन नं. 335027, जिसके उत्तर दिशा में गुरप्रीत सिंह, दक्षिण दिशा में जगतार सिंह, पूर्व दिशा में गुरूद्वारा, पश्चिम दिशा में गली है, जिसका साईज 2400 वर्गफुट है, पट्टा नं. 39 स्थित गांव अरायण तहसील श्रीकरणपुर व जिला श्रीगंगानगर पिन नं. 335027, जिसके उत्तर दिशा में मेजर सिंह, दक्षिण दिशा में सुखदेव कौर, पूर्व दिशा में गुरूद्वारा, पश्चिम दिशा में गली है, जिसका साईज 2400 वर्गफुट है, पट्टा नं. 41, स्थित गांव अरायण, तहसील श्रीकरणपुर व जिला श्रीगंगानगर पिन नं. 335027, जिसके उत्तर दिशा में जलंधर सिंह, दक्षिण दिशा में गुरप्रीत सिंह, पूर्व दिशा**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.12.26 11:47:30 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

में गुरूद्वारा, पश्चिम दिशा में गली है, जिसका साईज 1920 वर्गफुट है, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जाने की प्रार्थना की है।

मैने, पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण सुखदेव कौर, गुरप्रीत सिंह, मेजर सिंह एवं अमनदीप कौर को 4.50 लाख रूपये के ऋण की स्वीकृति दिनांक 24.02.2021 को स्वीकृत किया गया था। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थीगण सुखदेव कौर, गुरप्रीत सिंह एवं मेजर सिंह ने अपनी अचल सम्पत्ति क्रमशः पट्टा नं. 38, स्थित गांव अरायण तहसील श्रीकरणपुर व जिला श्रीगंगानगर पिन नं. 335027, जिसके उत्तर दिशा में गुरप्रीत सिंह, दक्षिण दिशा में जगतार सिंह, पूर्व दिशा में गुरूद्वारा, पश्चिम दिशा में गली है, जिसका साईज 2400 वर्गफुट है, पट्टा नं. 39 स्थित गांव अरायण तहसील श्रीकरणपुर व जिला श्रीगंगानगर पिन नं. 335027, जिसके उत्तर दिशा में मेजर सिंह, दक्षिण दिशा में सुखदेव कौर, पूर्व दिशा में गुरूद्वारा, पश्चिम दिशा में गली है, जिसका साईज 2400 वर्गफुट है एवं पट्टा नं. 41, स्थित गांव अरायण, तहसील श्रीकरणपुर व जिला श्रीगंगानगर पिन नं. 335027, जिसके उत्तर दिशा में जलंधर सिंह, दक्षिण दिशा में गुरप्रीत सिंह, पूर्व दिशा में गुरूद्वारा, पश्चिम दिशा में गली है, जिसका साईज 1920 वर्गफुट है, प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 06.05.2025 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणियों को धारा 13(2) के नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये थे, रजिस्टर्ड डाक से धारा 13(2) के नोटिस भिजवाने की रसीद एवं प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.12.26 11:47:30 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जहां तक ऋण की एवज में अप्रार्थी सुखदेव कौर, **गुरप्रीत सिंह एवं मेजर सिंह की अचल सम्पत्ति क्रमशः पट्टा नं. 38, स्थित गांव अरायण तहसील श्रीकरणपुर व जिला श्रीगंगानगर पिन नं. 335027, जिसके उत्तर दिशा में गुरप्रीत सिंह, दक्षिण दिशा में जगतार सिंह, पूर्व दिशा में गुरूद्वारा, पश्चिम दिशा में गली है, जिसका साईज 2400 वर्गफुट है, पट्टा नं. 39 स्थित गांव अरायण तहसील श्रीकरणपुर व जिला श्रीगंगानगर पिन नं. 335027, जिसके उत्तर दिशा में मेजर सिंह, दक्षिण दिशा में सुखदेव कौर, पूर्व दिशा में गुरूद्वारा, पश्चिम दिशा में गली है, जिसका साईज 2400 वर्गफुट है एवं पट्टा नं. 41, स्थित गांव अरायण, तहसील श्रीकरणपुर व जिला श्रीगंगानगर पिन नं. 335027, जिसके उत्तर दिशा में जलंधर सिंह, दक्षिण दिशा में गुरप्रीत सिंह, पूर्व दिशा में गुरूद्वारा, पश्चिम दिशा में गली है, जिसका साईज 1920 वर्गफुट है,** जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थी ऋणी पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 10.05.2025 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 10.05.2025 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस, अ**प्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से** भिजवाने की रसीद एवं ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) की तामील होना माना जाना उचित है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी बैंक ने 13(2) के नोटिस दो समाचार पत्रों इण्डियन एक्सप्रेस एवं सीमा संदेश में दिनांक 26.05.2025 को प्रकाशित करवाये है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ने बैक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है **और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत** किया है। इसलिए [illegible] की सुरक्षा की एवज में ऋणियों सुखदेव कौर, गुरप्रीत सिंह एवं [illegible] सिंह द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपतियों का भौतिक कब्जा [illegible] बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.12.26 11:47:30 IST
Reason: SelfAttested

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी आवास फाईनेंशियर्स **लिमिटेड का उक्त प्रार्थना पत्र** वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 **स्वीकार किया जाता है** और अप्रार्थी **ऋणियों सुखदेव कौर, गुरप्रीत सिंह एवं मेजर सिंह द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई अचल सम्पत्ति क्रमशः पट्टा नं. 38, स्थित गांव अरायण तहसील श्रीकरणपुर व जिला श्रीगंगानगर पिन नं. 335027, जिसके उत्तर दिशा में गुरप्रीत सिंह, दक्षिण दिशा में जगतार सिंह, पूर्व दिशा में गुरूद्वारा, पश्चिम दिशा में गली है, जिसका साईज 2400 वर्गफुट है, पट्टा नं. 39 स्थित गांव अरायण तहसील श्रीकरणपुर व जिला श्रीगंगानगर पिन नं. 335027, जिसके उत्तर दिशा में मेजर सिंह, दक्षिण दिशा में सुखदेव कौर, पूर्व दिशा में गुरूद्वारा, पश्चिम दिशा में गली है, जिसका साईज 2400 वर्गफुट है एवं पट्टा नं. 41, स्थित गांव अरायण, तहसील श्रीकरणपुर व जिला श्रीगंगानगर पिन नं. 335027, जिसके उत्तर दिशा में जलंधर सिंह, दक्षिण दिशा में गुरप्रीत सिंह, पूर्व दिशा में गुरूद्वारा, पश्चिम दिशा में गली है, जिसका साईज 1920 वर्गफुट है, का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी को उक्त अचल सम्पत्ति का का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। सहायता उपलब्ध करवाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि उक्त बंधक रखी गई सम्पत्ति किसी भी न्यायालय में विवादित अथवा स्थगन से प्रभावित तो नहीं है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 26.11.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.12.26 11:47:30 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर